इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 जनवरी 2017—पौष 26, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. 847-12-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो खण्ड (क) तथा (ख) के अंतर्गत नहीं आता है और जो राज्य के बाहर से मुक्त अभिगमन के माध्यम से विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध या अभिप्राप्त कर राज्य के भीतर उपभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा विहित कालावधि के दौरान उपभोग की गई कुल विद्युत् ऊर्जा का पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान, राज्य सरकार को विहित समय पर तथा विहित रीति में, किया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. 847-12-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 2017

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), in sub- section (1), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(c) Every person other than electricity distribution licensee, who is not covered under clauses (a) and (b) and who consumes electrical energy within the State upon procuring or obtaining it from outside the State through open access, shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit of total electrical energy consumed by such person during prescribed period.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.